भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 758

दिनांक 26 जुलाई, 2024 को उत्तर के लिए

बच्चों में कुपोषण

758. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत :

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि:-

क. बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

ख. विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इस संबंध में तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना सहित राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है-; और

ग. विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (ग) मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) का उद्देश्य बेहतर पोषण सामग्री और प्रदायगी के माध्यम से कुपोषण की चुनौती का समाधान करना है। सामुदायिक सहभागिता, आउटरीच, व्यवहार परिवर्तन और एडवोकेसी के माध्यम से कुपोषण में कमी लाने और बेहतर स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती और प्रतिरक्षा के लिए एक रणनीतिक बदलाव किया गया है। मिशन पोषण 2.0 मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के आहार मानदंड, गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम)/ मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) के उपचार और आयुष पद्धतियों के माध्यम से तंदुरुस्ती पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि बौनेपन और एनीमिया के साथ दुर्बलता और कम वज़न की व्यापकता को कम किया जा सके।

पूरक पोषण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अनुसूची-II में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार प्रदान किया जाता है। कुपोषण की चुनौती से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने के लिए, इन पोषण मानदंडों को संशोधित किया गया है। पुराने पोषण मानदंड काफी हद तक कैलोरी-संबंधी थे, हालांकि संशोधित पोषण मानदंड आहार विविधता के सिद्धांतों के आधार पर पूरक पोषण की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के संदर्भ में अधिक व्यापक और संतुलित हैं जो गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन, स्वस्थ वसा और सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करते हैं।

सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने तथा बच्चों में रक्ताल्पता को नियंत्रित करने के लिए आंगनवाड़ी केन्द्रों को केवल पोषक तत्वों से युक्त चावल की आपूर्ति की जा रही है। लाभार्थियों के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर सप्ताह में कम से कम एक बार पका हुआ गर्म भोजन और घर ले जाने वाला राशन (टीएचआर - कच्चा राशन नहीं) तैयार करने के लिए बाजरे के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने संयुक्त रूप से कुपोषण के सामुदायिक प्रबंधन (सीएमएएम) प्रोटोकॉल जारी किया ताकि गंभीर तीव्र कुपोषण वाले बच्चों की रोकथाम की जा सके और उनका इलाज किया जा सके ताकि संबंधित रुग्णता और मृत्यु दर को कम किया जा सके।

मिशन पोषण 2.0 के तहत की जाने वाली प्रमुख गतिविधियों में से एक सामुदायिक लामबंदी और जागरूकता हिमायत है जिसके तहत लोगों को पोषण संबंधी पहलुओं के बारे में शिक्षित करने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र क्रमशः सितंबर और मार्च-अप्रैल के महीनों में मनाए जाने वाले पोषण माह और पोषण पखवाड़ा के दौरान सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों के तहत नियमित रूप से संवेदीकरण गतिविधियों का संचालन और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। समुदाय आधारित कार्यक्रमों (सीबीई) ने पोषण प्रथाओं को बदलने में एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में कार्य किया है और सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को हर महीने दो समुदाय आधारित कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता होती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना सहित सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है।

*****

<u>अनुलग्नक I</u>

श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत द्वारा "बच्चों में कुपोषण" के संबंध में पूछे गए लोक सभा के दिनांक **26.07.2024** के अतारांकित प्रश्न संख्या **758** के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पिछले तीन वर्षों के दौरान मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत जारी निधि की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	**जारी की गई निधि (लाख रुपए में)**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	35.71
आंध्र प्रदेश	2278.07
अरुणाचल प्रदेश	470.67
असम	5204.84
बिहार	5173.81
चंडीगढ़	68.22
छत्तीसगढ	1855.15
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	27.10
दिल्ली	477.69
गोवा	39.49
गुजरात	2879.30
हरियाणा	594.07
हिमाचल प्रदेश	819.31
जम्मू और कश्मीर	1415.63
झारखंड	1448.19
कर्नाटक	2682.54
केरल	1139.85
लद्दाख	53.10
लक्षद्वीप	5.43
मध्य प्रदेश	3220.15
महाराष्ट्र	5059.08

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	**जारी की गई निधि (लाख रुपए में)**
मणिपुर	566.15
मेघालय	635.41
मिजोरम	202.39
नागालैंड	622.01
ओडिशा	2958.71
पुदुचेरी	7.37
पंजाब	766.70
राजस्थान	2748.63
सिक्किम	79.54
तमिलनाडु	2302.98
तेलंगाना	1540.88
त्रिपुरा	581.47
उत्तर प्रदेश	7798.11
उत्तराखंड	1067.74
पश्चिम बंगाल	3133.50